[2021] 6 एससीआर 611

इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

मेसर्स अमित मेटालिक्स लिमिटेड और अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 1700 ऑफ़ 2021)

13 मई 2021

[न्यायमूर्तिगण विनीत सरन और दिनेश माहेश्वरी]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016: धारा 30(4) – समाधान योजना – कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में अनुमोदन– समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को सीओसी द्वारा विचार के लिए लिया गया – अपीलकर्ता ने विशेष रूप से उसके द्वारा रखे गए सुरक्षा हित के मूल्य के संदर्भ में प्रस्तावित शेयर पर आपत्ति व्यक्त की और असहमत वित्तीय ऋणदाता बने रहने का विकल्प चुना। सीओसी में वोटिंग शेयर के विशाल बहुमत द्वारा अनुमोदित संकल्प योजना को निर्णय पेशेवर द्वारा अनुमोदन के लिए निर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया था – निर्णय प्राधिकरण ने सीओसी द्वारा हितधारकों को वित्तीय बोलियों के विवेकपूर्ण वितरण के साथ योजना को व्यवहार्य और व्यावहारिक पाया। उनका हक – निर्णायक प्राधिकारी ने समाधान योजना को मंजूरी दे दी – अपीलकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष इसे असफल रूप से चुनौती दी ।

– इसलिए तत्काल अपील – अभिनिर्धारित किया गया । समाधान योजना पर विचार और अनुमोदन की प्रक्रिया का मामला अनिवार्य रूप से सीओसी के व्यावसायिक ज्ञान का है और न्यायिक समीक्षा का दायरा धारा 30(2) के चार कोनों के भीतर सीमित रहता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के लिए संहिता; और अपीलीय प्राधिकरण के लिए धारा 30(2) को धारा 61(3) के साथ पढ़ें – समाधान योजना में वित्तीय प्रस्ताव सीओसी के व्यावसायिक निर्णय का मूल है – एक बार यह पाया जाता है कि सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन किया गया है इसके साथ और इसका ध्यान रखते हुए, न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया को मात्रात्मक विश्लेषण तक नहीं बढ़ाया जा सकता हैकिसी विशेष लेनदार या किसी हितधारक के लिए, जो अपना असंतोष रख सकता है – अपीलकर्ता को भुगतान का प्रस्ताव अन्य सुरक्षित वित्तीय लेनदारों के लिए प्रस्तावित भुगतान के प्रतिशत के बराबर है – इसलिए, निष्पक्ष और न्यायसंगत उपचार से इनकार या उपेक्षा का कोई मामला नहीं है प्राथमिकता का निर्धारण किया गया है – न्यायिक समीक्षा।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए –

अभिनिर्धारित किया गया: 1.1 समाधान योजना पर विचार और अनुमोदन की प्रक्रिया के संबंध में मामला मूल रूप से लेनदारों की समिति के व्यावसायिक ज्ञान का है और न्यायिक समीक्षा का दायरा चार कोनों तक सीमित है। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के लिए संहिता की धारा 30(2) का; और अपीलीय प्राधिकारी के लिए धारा 30(2) को धारा 61(3) के साथ पढ़ा जाए। [पैरा 10][623–बीसी]

1.2 समाधान योजना में वित्तीय प्रस्ताव ऋणदाताओं की समिति के व्यावसायिक निर्णय का मूल है। एक बार यह पाया गया है कि सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन किया गया है और उनका ध्यान रखा गया है, न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया को किसी विशेष लेनदार या किसी हितधारक के लिए मात्रात्मक विश्लेषण करने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है, जो अपना असंतोष ले सकता है। दूसरे शब्दों में, IBC की योजना में, प्रत्येक असंतोष कानूनी शिकायत का स्वरूप नहीं लेता और इसे अपील के आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता। [पैरा 11][624–एफजी]

के. शशिधर बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक और अन्य।(2019) 12 एससीसी 150 : [2019] 3 एससीआर 845;महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड बनाम पद्मनाभन वेंकटेश और अन्य। (2020) 11 एससीसी 467 – संदर्भित।

2.1 संहिता की धारा 30 की संशोधित उपधारा (4) के प्रावधान, जिस पर अपीलकर्ता की ओर से अत्यधिक निर्भरता रखी गई है, अपीलकर्ता के कहने पर समाधान योजना में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। एनसीएलएटी का यह कहना सही था कि उप–धारा (4) में ऐसा संशोधन किया गया है धारा 30 ने केवल अपने व्यावसायिक ज्ञान का प्रयोग करते हुए लेनदारों की समिति के लिए विचारों को बढ़ाया समान स्थिति वाले लेनदारों के बीच वितरण की निष्पक्षता के साथ समाधान योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता के संबंध में एक सूचित निर्णय लें; और अभ्यास में लिया गया व्यावसायिक निर्णय सीओसी के वाणिज्यिक ज्ञान में तब तक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है जब तक कि समान स्थिति वाले वर्ग से संबंधित लेनदारों को उचित और न्यायसंगत उपचार से वंचित नहीं किया जाता है। [पैरा 12][625–ई.]

2.2 निष्पक्ष और न्यायसंगत उपचार के प्रश्न के संबंध में, हालांकि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी भी समाधान योजना के पक्ष में समवर्ती निष्कर्ष लौटाए हैं। अपीलकर्ता को भुगतान का प्रस्ताव अन्य सुरक्षित वित्तीय लेनदारों के लिए प्रस्तावित भुगतान के प्रतिशत के बराबर है। निष्पक्ष और न्यायसंगत उपचार से इनकार या प्राथमिकता की उपेक्षा का कोई मामला नहीं बनता है। [पैरा 12.1][625–डीई]

2.3 अपीलकर्ता की ओर से उसके सुरक्षा हित के मूल्य के संदर्भ में बार–बार की गई दलीलों का न तो कोई अर्थ है और न ही कोई सार। असहमत वित्तीय ऋणदाता क्या पाने का हकदार है, यह उप–धारा 2–बी के बाद के भाग में निर्दिष्ट है (2)(बी) संहिता की धारा 30 के। [पैरा 13][625–एफजी]

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के ऋणदाताओं की समिति बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य।(2020) 8 एससीसी 531 : [2019] 16 एससीआर 275;जेपी केंसिंग्टन बुलेवार्ड अपार्टमेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य। बनाम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड और अन्य।[2021] 5 स्केल 142 – पर भरोसा किया गया।

3. असहमत वित्तीय ऋणदाता द्वारा प्राप्य राशि की सीमा पर सीमा संहिता की धारा 30(2)(बी) में जन्मजात है। विधायिका का यह इरादा नहीं रहा है कि कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति पर एक असहमत वित्तीय ऋणदाता को उपलब्ध सुरक्षा हित उसे अन्य वित्तीय ऋणदाताओं के ऊपर और ऊपर कुछ अधिकार देता है ताकि संपूर्ण सुरक्षा हित को लागू किया जा सके और इस प्रकार कार्यान्वित किया जा सके। लेनदारों के समान वर्ग के लिए प्रस्तावित प्राप्य परिसमापन मूल्य से अधिक राशि प्राप्त करके एक असमान परिदृश्य। [पैरा 15][628–जीएच; 629–एबी]

केस कानून संदर्भ

[2019]	16 एससीआर 275	पर भरोसा	पैरा 6
[2019]	3 एससीआर 845	करने के लिए भेजा	पैरा 10
(2020) 11 एससीसी 467		करने के लिए भेजा	पैरा 10

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2021 की सिविल अपील संख्या 1700।

2020 के सीए (एटी) (दिवाला) संख्या 1061 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली (एनसीएलएटी) के दिनांक 02.03.2021 के निर्णय और आदेश से। संजीव सिंह, सुश्री काजल भाटिया, प्रशांत त्रिपाठी, सुधांशु पालो, सलाहकार। अपीलकर्ता के लिए.

कुमारजीत बनर्जी, गौरभ गुप्ता, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए.

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय सुनाया गया:

निर्णय

1. दिवालियापन की धारा 62 के तहत इस अपील के माध्यम से दिवालियापन संहिता, 2016[1] अपीलकर्ता इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा सीए (एटी) में (दिवाला) संख्या 1061 2020, पारित दिनांक 02.03.2021 के आदेश पर सवाल उठाना चाहता है।[2] जिसके तहत अपीलीय प्राधिकरण ने राष्ट्रीय कंपनी कानून, कलकत्ता बेंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2020 को इसकी चुनौती को खारिज कर दिया कोलकाता[3] कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में समाधान योजना के अनुमोदन में[4] विषय में कॉर्पोरेट देनदार वीएसपी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यहां प्रतिवादी संख्या 2), जैसा कि समाधान आवेदक अमित मेटालिक्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है(यहां प्रतिवादी क्रमांक 1)।

2. अपीलकर्ता कंपनी को कॉर्पोरेट देनदार के सुरक्षित वित्तीय ऋणदाता के रूप में रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड द्वारा प्राप्त अधिकारों, शीर्षक और ब्याज की समनुदेशिती कहा जाता है, जिसके पास 3.94% वोटिंग शेयर है। ऋणदाताओं की समिति[5].

3. जब प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को सीओसी द्वारा विचार के लिए लिया गया, तो अपीलकर्ता ने प्रस्तावित शेयर पर आपत्ति व्यक्त की, विशेष रूप से उसके द्वारा रखे गए सुरक्षा हित के मूल्य के संदर्भ में; और एक असहमत वित्तीय ऋणदाता बने रहना चुना। अपीलकर्ता की ओर से असहमति और समाधान पेशेवर तथा अन्य द्वारा उस पर प्रतिक्रिया

सीओसी के सदस्यों को सीओसी की बैठक 14th दिनांक 31.07.2020 को निम्नलिखित शब्दों में नोट किया गया:–

> "रेलिगेयर फिनवेस्ट/इंडिया रिसर्जेंस एआरसी के प्रतिनिधि, श्री शक्ति ने समाधार योजना के अनुसार मिल रहे कम शेयर के बारे में पूछताछ की।"
> जबकि उनके पास मौजूद सुरक्षा हित बहुत अधिक है ।उन्होंने सीडी के उचित बाजार मूल्य और परिसमापन मूल्य पर भी सवाल उठाया। इस पर आरपी ने उन्हें सूचित किया कि मूल्यांकन का कार्य आईबीबीआई के पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया गया है, जिन्हें तत्कालीन आईआरपी द्वारा नियुक्त किया गया था और उन्हें इसमें कोई असंगतता नहीं मिली। अन्य सदस्यों ने भी इस पर सहमति जताई। श्री शक्ति ने तब यह मुद्दा उठाया कि वर्तमान परिदृश्य में यह उनके लिए बेहतर होगा यदि कंपनी परिसमापन में

चली जाए और उन्हें धारा 52(1)(बी) के तहत विकल्प का उपयोग करके अपने सुरक्षा हित की प्राप्ति होगा। आरपी ने तब उत्तर दिया कि परिसमापन विकल्प एक लेनदार के लिए फायदेमंद हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से अन्य सुरक्षित उधारदाताओं के लिए हानिकारक है जिनके पास लगभग 96% की बहुमत हिस्सेदारी है। इसके अलावा आरपी ने यह भी कहा कि आईबीसी का उद्देश्य एक संकटग्रस्त कंपनी का समाधान और पुनरुद्धार है और यह कोई पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया नहीं है।

3.1. हालाँकि, अन्य वित्तीय ऋणदाताओं के एक बड़े बहुमत ने समाधान योजना के पक्ष में मतदान किया और इसलिए, समाधान योजना को वित्तीय ऋणदाताओं के 95.35% वोटिंग शेयर की मंजूरी मिल गई।

4. उक्त समाधान योजना, जैसा कि सीओसी में वोटिंग शेयर के विशाल बहुमत द्वारा अनुमोदित किया गया था, समाधान पेशेवर द्वारा अनुमोदन के लिए निर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया था। निर्णायक प्राधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ समाधान योजना की मुख्य विशेषताओं, विशेष रूप से वित्तीय प्रस्तावों से संबंधित, की जांच की; और सीओसी द्वारा हितधारकों को उनकी पात्रता के अनुसार वित्तीय बोलियों के विवेकपूर्ण वितरण के साथ-साथ सभी अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन के साथ योजना को व्यवहार्य और व्यावहारिक पाया। निर्णायक प्राधिकारी ने अपनी पूर्ण संतुष्टि बताई और दिनांक 20.10.2020 (21.10.2020 को संशोधित) के अपने आदेश में निम्नानुसार अवलोकन करते हुए समाधान योजना को मंजूरी दे दी: -

"13. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुनने के बाद और योजना के अवलोकन से, यह समझा जाता है कि कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति सुरक्षित हाथों में रहने वाली है। आरपी, श्री राज सिंघानिया, एक ऐसे समाधान आवेदक का पता लगाने के लिए विशेष सराहना के पात्र हैं, जिसकी योजना को ऋणदाताओं की समिति ने 95.35% वोटिंग शेयर द्वारा अनुमोदित किया है, यहां तक कि कोविड-19 के कारण महामारी के इस कठिन समय में भी। आरपी द्वारा प्रस्तुत फॉर्म एच के अनुसार, समाधान आवेदक द्वारा अनिवार्य आवश्यकताओं के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया जाता है। यह दिवाला समाधान प्रक्रिया के भुगतान, ऋणों के भुगतान का प्रावधान करता है । परिचालन ऋणदाता, कॉर्पोरेट देनदार के मामलों का प्रबंधन, और समाधान योजना के कार्यान्वयन और

पर्यवेक्षण के लिए भी प्रावधान। यह योजना की शर्तें और उसके कार्यान्वयन का कार्यक्रम भी प्रदान करता है। इसलिए यह एक व्यवहार्य और व्यवहारिक योजना है। सीओसी द्वारा वित्तीय बोलियों का विवेकपूर्ण वितरण हितधारकों को उनके अधिकारों के अनुसार अनुमान लगाया जा सकता है योजना विचाराधीन. संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन में या मौजूदा कानूनों के उल्लंघन में शमन की कोई छूट नहीं लाई गई है और इसलिए, योजना में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे इसे अस्वीकार किया जा सके। इस सीपी को 7 अगस्त, 2019 को भर्ती कराया गया था, हालाँकि, 180 दिनों की समाप्ति पर, CIRP की अवधि थी । COVID-19 के प्रकोप के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की अवधि के दौरान अंतिम दिनों को छोड़कर, किसी भी गतिविधि के लिए समय-सीमा के प्रयोजनों के लिए गणना नहीं की जाएगी जो ऐसे लॉकडाउन के कारण पूरी नहीं हो सकी में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के संबंध में और इस प्रकार 270 दिनों की अवधि के भीतर सीओसी द्वारा योजना का अनुमोदन। सीओसी ने प्राप्त योजनाओं पर बहुत अच्छी तरह से विचार-विमर्श किया है और प्रत्येक योजना की व्यवहार्यता, व्यवहार्यता और वित्तीय मैट्रिक्स का निर्णय लिया है और ऋणदाताओं की समिति के सदस्यों के 95.35% वोट शेयरों के साथ एक को मंजूरी दी है।

5. ऐसा नहीं लगता कि समाधान योजना पर कोई आपत्ति थी निर्णय प्राधिकारी के समक्ष विचार हेतु रखा गया था । जैसा भी हो, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ, अपीलकर्ता ने संहिता की धारा 61(3) के साथ पठित धारा 61(1) के तहत अपील की। एक असहमत वित्तीय ऋणदाता के रूप में अपीलकर्ता की ओर से यह दलील दी गई कि स्वीकृत संकल्प है योजना व्यवहार्य और व्यवहारिक होने के परीक्षण में विफल रही, क्योंकि सुरक्षित परिसंपत्ति के मूल्य, जिस पर कॉर्पोरेट देनदार द्वारा उसके पक्ष में सुरक्षा हित बनाया गया था, पर ध्यान नहीं दिया गया। अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि आईबीसी की धारा 30 की उप-धारा (4) में संशोधन के बाद, जो 16.08.2019 से लागू हुआ, सीओसी को यह सुनिश्चित करना था कि वितरण के तरीके में लेनदारों के बीच प्राथमिकता के क्रम के साथ-साथ सुरक्षित लेनदार के सुरक्षा हित की प्राथमिकता और मूल्य को भी ध्यान में रखा जाए; और समाधान आवेदक और सीओसी अपने पक्ष में मौजूदा सुरक्षा हित पर विचार करने में विफल रहे, निर्णायक प्राधिकरण की मंजूरी कानून के अनुरूप नहीं थी ।

6– अपीलीय प्राधिकारी ने अपीलकर्ता की ओर से की गई दलीलों पर ध्यान दिया और ***एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के ऋणदाताओं की समिति बनाम सतीश कुमार गुप्ता एवं अन्य।*: (2020) 8 एससीसी 531 में** इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया । दिवाला समाधान प्रक्रिया में लेनदारों के विभिन्न वर्गों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर जोर देना। अपीलीय प्राधिकरण ने विशेष रूप से एस्सार स्टील में लेनदारों के न्यायसंगत उपचार की अवधारणा के अर्थ और रूपरेखा को समझाने वाले अंशों का उल्लेख किया, जिसमें यह टिप्पणी भी शामिल है कि लेनदारों के न्यायसंगत उपचार का मतलब केवल एक ही वर्ग के भीतर न्यायसंगत उपचार है; और सामान्य तौर पर लेनदारों की सुरक्षा महत्वपूर्ण थी लेकिन यह भी जरूरी था कि लेनदारों को एक–दूसरे से बचाया जाए; और आगे यह कि संहिता को इस तरह से नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि लेनदारों को दिवालियेपन की कार्यवाही में सामान्य कानून की तुलना में अधिक अधिकार दिए जा सकें, जब तक कि यह किसी दिवालियेपन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए न हो।

6.1. एस्सार स्टील (सुप्रा) में प्रतिपादित सिद्धांतों पर ध्यान देने के बाद, अपीलीय प्राधिकारी ने निम्नलिखित टिप्पणियों और निष्कर्षों के साथ अपीलकर्ता की ओर से आग्रह की गई दलीलों को खारिज कर दिया: –

"6. आई एंड बी कोड की धारा 30(4) में प्रावधान है कि लेनदारों की समिति एक वोट द्वारा एक संकल्प योजना को मंजूरी दे सकती है जो वित्तीय लेनदारों के वोटिंग शेयर के 66% से कम नहीं होगी। इस तरह की मंजूरी समाधान योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद की जानी है, जिसमें आई एंड बी कोड की धारा 53 में निर्धारित वॉटरफॉल तंत्र के संदर्भ में लेनदारों के बीच प्राथमिकता के क्रम को ध्यान में रखते हुए वितरण का तरीका प्रस्तावित है। आईबीबीआई द्वारा निर्दिष्ट अन्य आवश्यकताओं के अलावा सुरक्षित ऋणदाता के सुरक्षा हित की प्राथमिकता और मूल्य। इस प्रावधान को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि संकल्प योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता के बारे में विचार, वैधानिक वितरण तंत्र के अनुसार लेनदारों के बीच प्राथमिकता के क्रम के संदर्भ में प्रस्तावित वितरण, जिसमें सुरक्षित लेनदार के सुरक्षा हित की प्राथमिकता और मूल्य शामिल हैं। वे मामले जो विचार के लिए ऋणदाताओं की समिति के विशेष क्षेत्र में आते हैं। अपेक्षित बहुमत के वोट शेयर के साथ एक समाधान योजना के अनुमोदन के संबंध में निर्णय लेते समय ये विचार ऋणदाताओं की समिति के दिमाग में मौजूद होने चाहिए। जहां तक धारा 30(4) में पेश किए गए संशोधन का संबंध है,

यह देखा जा सकता है कि यह संशोधन धारा के तहत पेश किया गया है । 2019 के संशोधन अधिनियम के 6 (बी) एक संकल्प योजना को मंजूरी देने में एक सुरक्षित लेनदार के सुरक्षा हित के मूल्य को ध्यान में रखने के लिए लेनदारों की समिति को विवेक प्रदान करता है। यह एक दिशानिर्देश है और शर्तों में अनिवार्य नहीं है, जिसे किसी समाधान योजना की मंजूरी या अस्वीकृति के संबंध में किसी निर्णय पर पहुंचने पर ऋणदाताओं की समिति द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है, ऐसा निर्णय अनिवार्य रूप से समिति के वाणिज्यिक ज्ञान पर आधारित एक व्यावसायिक निर्णय होता है। लेनदार. इस संबंध में 'एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के ऋणदाताओं की समिति बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य' (सुप्रा) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ महत्वपूर्ण हैं. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:–

> "131. 2019 के संशोधन अधिनियम की धारा 6 के उप–खंड (बी) को चुनौती, फिर से उस लचीलेपन पर जाती है जो संहिता लेनदारों की समिति को एक समाधान योजना को मंजूरी देने या न देने के लिए देती है और जो विभिन्न वर्गों को ध्यान में रख सकती है। जैसा कि धारा 53 में उल्लिखित है, लेनदारों की संख्या, और एक सुरक्षित लेनदार के सुरक्षा हितों की विभिन्न प्राथमिकताएँ और मूल्य। इस लचीलेपन का उल्लेख बीएलआरसी रिपोर्ट, 2015 में किया गया है (इस निर्णय का पैरा 56 देखें)। साथ ही, "हो सकता है" शब्द द्वारा लेनदारों की समिति को दिया गया विवेक फिर से यह स्पष्ट करता है कि यह केवल एक दिशानिर्देश है जो इस उप–धारा द्वारा निर्धारित किया गया है जिसे लेनदारों की समिति द्वारा समाधान योजना की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में किसी व्यावसायिक निर्णय पर पहुंचने के लिए लागू किया जा सकता है। इसलिए, इन सभी कारणों से, यह मानना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी प्रावधान संवैधानिक रूप से कमजोर है।
>
> 7– यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वितरण की योजना में प्राथमिकता और सुरक्षा के मूल्य सहित विचार ऋणदाताओं की समिति के दायरे में आने वाले मामले हैं। इस तरह के विचार, केवल लेनदारों की समिति के व्यावसायिक ज्ञान के प्रयोग में किसी व्यावसायिक निर्णय पर पहुंचने के उद्देश्य से प्रासंगिक होने के कारण, I&B कोड की धारा 61(3) के मापदंडों के भीतर अपील में न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं हो सकते हैं। हालांकि यह सच है कि धारा 30(4) में संशोधन से पहले ऋणदाताओं की समिति को समाधान योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता के संबंध में निर्णय लेते समय सुरक्षित ऋणदाता के पक्ष में प्राप्त सुरक्षा

ब्याज के मूल्य पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। , विधान मंडल संकल्प योजना को मंजूरी या अस्वीकार करने के लिए व्यावसायिक निर्णय लेने में अपने वाणिज्यिक ज्ञान का प्रयोग करते समय लेनदारों की समिति द्वारा विचार किए जाने वाले विचारों के दायरे को बढ़ाने के लिए संशोधन लाया गया। इस तरह के विचार का उद्देश्य केवल लेनदारों की समिति को अधिक सशक्त बनाना है ताकि समाधान योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता के संबंध में एक सूचित निर्णय लिया जा सके, समान रूप से स्थित लेनदारों के बीच वितरण की निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण बात है। हालाँकि, लेनदारों की समिति के व्यावसायिक ज्ञान का प्रयोग करते हुए लिए गए ऐसे व्यावसायिक निर्णय में न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि समान स्थिति वाले वर्ग से संबंधित लेनदारों को उचित और न्यायसंगत उपचार नहीं दिया जाता है।

8. हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिली, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।"

7– अपीलीय प्राधिकारी के फैसले पर सवाल उठाने की मांग करते हुए, हमारे सामने अपीलकर्ता के विद्वान वकील की दलीलों का मुख्य मुद्दा फिर से संहिता की धारा 30(4) के इर्द–गिर्द घूमता है। यह तर्क दिया गया है कि सीओसी उस समाधान योजना को मंजूरी नहीं दे सकती थी जो प्रत्येक लेनदार को वितरण के तरीके का निर्णय करते समय लेनदारों के सुरक्षा हित की प्राथमिकता और मूल्य पर विचार करने में विफल रही, भले ही विधायिका ने अपने विवेक से धारा 30(4) में संशोधन किया हो। संहिता में, सीओसी को संहिता की धारा 53(1) में निर्धारित लेनदारों के बीच प्राथमिकता के क्रम को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जिसमें एक सुरक्षित लेनदार के सुरक्षा हित की प्राथमिकता और मूल्य भी शामिल है। विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि समाधान योजना पर अपीलकर्ता की असहमति का प्राथमिक कारण यह था कि, 13.38 करोड़ रुपये से अधिक के कुल स्वीकृत दावे के मुकाबले, समाधान आवेदक ने अपीलकर्ता को मूल्यांकन पर विचार किए बिना लगभग 2.026 करोड़ रुपये की मामूली राशि की पेशकश की थी। अपीलकर्ता के पास मौजूद सुरक्षा, जिसका स्वीकारोक्ति रूप से मूल्यांकन 12 करोड़ रुपये से अधिक था। विद्वान वकील ने एस्सार स्टील (सुप्रा) के फैसले के साथ–साथ ***जेपी केंसिंग्टन बुलेवार्ड अपार्टमेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य विरूद्ध एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड और अन्य 24.03.2021 को प्रस्तुत किया गया ,*** में इस न्यायायल के हालिया फैसले का भी उल्लेख किया है । विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि एनसीएलएटी का यह विचार कि संहिता की धारा 30(4) में संशोधन केवल एक दिशानिर्देश था, इस तथ्य को ध्यान में रखने में विफल है कि सीओसी के पास अपने

व्यावसायिक ज्ञान का प्रयोग करने और अनुमोदन करने का निरंकुश और मनमाना अधिकार नहीं है। वह योजना जो संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

8. विद्वान वकील को सुनने और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का अवलोकन करने के बाद, हमारा स्पष्ट विचार है कि यह अपील पूरी तरह से निरर्थक है और स्वीकार करने योग्य नहीं है।

9. कानून की आवश्यकताएं, विशेष रूप से अपीलकर्ता की ओर से मांगी गई दलीलों के संबंध में, प्रावधानों के संदर्भ में हैं । संहिता की धारा 30 में समाधान योजना प्रस्तुत करने, इसकी अनिवार्य सामग्री, लेनदारों की समिति द्वारा इस पर विचार और अनुमोदन और अनुमोदन के लिए निर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत करने से संबंधित प्रक्रियाओं से संबंधित है। संहिता की धारा 30 की उपधारा (2) और (4) वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक होने के कारण उपयोगी हो सकती हैं अन्य भागों को हटाते हुए निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया:–

धारा 30. समाधान योजना प्रस्तुत करना.–(1) xxx xxx xxx

(2) समाधान पेशेवर यह पुष्टि करने के लिए अपने द्वारा प्राप्त प्रत्येक समाधान योजना की जांच करेगा कि प्रत्येक समाधान योजना–

(ए) कॉर्पोरेट देनदार के अन्य ऋणों का [भुगतान] प्राथमिकता के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत के भुगतान का प्रावधान करता है ।

[9][(बी) परिचालन ऋणदाताओं के ऋणों के भुगतान का प्रावधान करता है जो इससे कम नही होगा जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से कम नही होगा ।

(i) धारा 53 के तहत कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन की स्थिति में ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि; या

(ii) वह राशि जो ऐसे लेनदारों को भुगतान की गई होगी, यदि समाधान योजना के तहत राशि वितरित की जाने वाली राशि धारा 53 की उपधारा (1) में प्राथमिकता क्रम के अनुसार वितरित किया गया है।

जो भी अधिक हो, और वित्तीय लेनदारों के ऋण के भुगतान का प्रावधान करता है, जो संकल्प के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं । योजना, ऐसे तरीके से जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है, जो कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन की स्थिति में धारा 53 की उपधारा (1) के अनुसार ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि से कम नहीं होगी।

स्पष्टीकरण 1.–शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के प्रावधानों के अनुसार वितरण ऐसे लेनदारों के लिए उचित और न्यायसंगत होगा।

स्पष्टीकरण 2. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह घोषित किया जाता है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ होने की तारीख से, इस खंड के प्रावधान कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया पर भी लागू होंगे। –

(i) जहां किसी समाधान योजना को निर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित या अस्वीकार नहीं किया गया है;

(ii) जहां धारा 61 या धारा 62 के तहत अपील की गई है या ऐसी अपील उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान के तहत कालातीत नहीं है; या

(iii) जहां किसी समाधान योजना के संबंध में निर्णायक प्राधिकारी के फैसले के खिलाफ किसी अदालत में कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है;]

(सी) समाधान योजना के अनुमोदन के बाद कॉर्पोरेट देनदार के मामलों के प्रबंधन का प्रावधान करता है;

(डी)समाधान योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण;

(ई)फिलहाल लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है;

(एफ) ऐसी अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप है जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

[स्पष्टीकरण.– खंड (ई) के प्रयोजनों के लिए, यदि समाधान योजना के तहत कार्यों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या किसी अन्य कानून के तहत शेयरधारकों की मंजूरी आवश्यक है , ऐसी मंजूरी दी गई मानी जाएगी और यह उस अधिनियम या कानून का उल्लंघन नहीं होगा।]

(3) xxxxx xxx

[11][(4) लेनदारों की समिति कम से कम 66% वोट से किसी समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है ।[12] इसकी व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद, वित्तीय ऋणदाताओं के वोटिंग शेयर का,[13][प्रस्तावित वितरण का तरीका, जो धारा 53 की उपधारा (1) में निर्धारित लेनदारों के बीच प्राथमिकता के क्रम को ध्यान में रख सकता है, जिसमें एक सुरक्षित लेनदार के सुरक्षा हित की प्राथमिकता और मूल्य भी शामिल है] और ऐसी अन्य आवश्यकताएं जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है:

बशर्ते कि लेनदारों की समिति दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश 7) के प्रारंभ होने से पहले प्रस्तुत एक समाधान योजना को मंजूरी नहीं देगी, जहां समाधान आवेदक धारा 29 ए के तहत अयोग्य है और इसकी आवश्यकता हो सकती है। समाधान पेशेवर को एक नई समाधान योजना आमंत्रित करने के लिए जहां उसके साथ कोई अन्य समाधान योजना उपलब्ध नहीं है:

आगे बशर्ते कि जहां पहले प्रावधान में निर्दिष्ट समाधान आवेदक धारा 29ए के खंड (सी) के तहत अयोग्य है, समाधान आवेदक को अतिदेय राशि का भुगतान करने के लिए लेनदारों की समिति द्वारा तीस दिनों से अधिक की अवधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। धारा 29ए के खंड (सी) के प्रावधान के अनुसार:

बशर्ते कि दूसरे परंतुक में किसी भी बात को धारा 12 की उपधारा (3) के परंतुक के प्रयोजनों के लिए अवधि के विस्तार के रूप में नहीं समझा जाएगा, और कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया उस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। .]

[14][बशर्ते यह भी कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश 6) द्वारा संशोधित धारा 29ए में पात्रता मानदंड उस समाधान आवेदक पर लागू होंगे, जिसने समाधान योजना प्रस्तुत नहीं की है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता ए (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश 6) का प्रारंभ।]

(5) xxxxxx xxx

(6) xxxxxx xxx"

10. जहां तक समाधान योजना पर विचार और अनुमोदन की प्रक्रिया का संबंध है, अब यह संदेह की छाया से परे है कि मामला अनिवार्य रूप से लेनदारों की समिति के वाणिज्यिक ज्ञान का है और न्यायिक समीक्षा का दायरा धारा 30 के चार कोनों तक ही सीमित है। (2) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के लिए संहिता का; और अपीलीय प्राधिकारी के लिए धारा 30(2) को धारा 61(3) के साथ पढ़ा जाए। जेपी केंसिंग्टन (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने एस्सार स्टील (सुप्रा) के साथ–साथ के. शशिधर बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक और अन्य: (2019) 12 एससीसी 150 और महाराष्ट्र में ***सीमलेस लिमिटेड बनाम पद्मनाभन वेंकटेश और अन्य*** **: (2020)11 एससीसी 467** मे पिछले फैसलों पर ध्यान देने के बाद सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार है:–

"77. आईबीसी की योजना में, जहां समाधान योजना की मंजूरी विशेष रूप से सीओसी के वाणिज्यिक ज्ञान के क्षेत्र में है, न्यायिक समीक्षा का दायरा निर्णय प्राधिकारी की मंजूरी के संबंध में धारा 31 में निहित प्रावधानों द्वारा परिचालित है और अनुमोदन के आदेश के खिलाफ अपील की गुंजाइश के संबंध में धारा 32, धारा 61 के साथ पढा गया है ।

77.1. न्यायिक समीक्षा पर इस तरह की सीमाओं को इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निर्णयों में विधिवत रेखांकित किया गया है, जहां यह स्पष्ट शब्दों में निर्धारित किया गया है कि समाधान योजना से निपटने वाले निर्णायक प्राधिकरण की शक्तियां शुद्धता की जांच या अन्यथा की जांच करने के लिए विस्तारित नही है । सीओसी द्वारा प्रयोग किया गया

व्यवसायिक ज्ञान न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के लिए उपलब्ध सीमित न्यायिक समीक्षा संहिता की धारा 30(2) के चार कोनों के भीतर निहित है, जो अनिवार्य रूप से यह जांच करेगी कि समाधान योजना उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है, यह ऐसी अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप है जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं, और यह प्रदान करता है: (ए) प्राथमिकता में दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत का भुगतान; (बी) परिचालन लेनदारों के ऋण का भुगतान; (सी) असहमत वित्तीय लेनदारों के ऋण का भुगतान; (डी) समाधान योजना के अनुमोदन के बाद कॉर्पोरेट देनदार के मामलों के प्रबंधन के लिए; और (ई) समाधान योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण।

77.2. न्यायिक समीक्षा के दायरे की सीमाएं एक समाधान योजना को मंजूरी देने वाले आदेश के खिलाफ अपील के लिए प्रदान किए गए सीमित आधार द्वारा प्रबलित होती हैं, अर्थात्, यदि योजना उस समय लागू किसी भी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करती है; या कॉर्पोरेट दिवाला समाधान अवधि के दौरान समाधान पेशेवर द्वारा शक्तियों के प्रयोग में भौतिक अनियमितता हुई है; या परिचालन लेनदारों पर बकाया ऋणों का प्रावधान नहीं किया गया है; या प्राथमिकता में पुनर्भुगतान के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत प्रदान नहीं की गई है; या समाधान योजना बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मानदंड का अनुपालन नहीं करती है।

77.3. न्यायिक समीक्षा की सीमा पर एस्सार स्टील (सुप्रा) में दिए गए भौतिक प्रस्ताव यह हैं कि निर्णायक प्राधिकरण यह देखेगा कि क्या सीओसी ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि कॉर्पोरेट देनदार को दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान एक सतत चिंता के रूप में जारी रखने की आवश्यकता है; उसे अपनी परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने की आवश्यकता है; और परिचालन ऋणदाताओं सहित सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखा गया है। और, यदि निर्णायक प्राधिकारी को तथ्यों के दिए गए सेट पर पता चलता है कि अपेक्षित मापदंडों को ध्यान में नहीं रखा गया है, तो वह मापदंडों को पूरा करने के बाद समाधान योजना को फिर से प्रस्तुत करने के लिए ऋणदाताओं की समिति को वापस भेज सकता है। फिर, जैसा कि महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड (सुप्रा) में देखा गया है, निर्णायक प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण के लिए किसी भी न्यायसंगत धारणा पर आगे बढ़ने या मात्रात्मक विश्लेषण के आधार पर समाधान योजना का आकलन करने की कोई गुंजाइश

नहीं है। इस प्रकार, किसी भी ऋण या परिसंपत्ति का उपचार अनिवार्य रूप से वित्तीय लेनदारों के सामूहिक वाणिज्यिक ज्ञान पर छोड़ा जाना आवश्यक है।

11. इस बात को विस्तार से बताने की आश्यकता नही है कि समाधान योजना में वित्तीय प्रस्ताव ऋणदाताओं की समिति के व्यवसायिक निर्णय का मूल है । एक बार जब यह पाया जाता है कि सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन किया गया है और उनका ध्यान रखा गया है, तो न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया को किसी विशेष लेनदार या किसी हितधारक के लिए मात्रात्मक विश्लेषण करने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है, जो अपना असंतोष ले सकता है। दूसरे शब्दों में, आईबीसी की योजना में, प्रत्येक असंतोष कानूनी शिकायत का स्वरूप नहीं लेता है और इसे अपील के आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है।[15]

12. संहिता की धारा 30 की संशोधित उपधारा (4) के प्रावधान जिस पर अपीलकर्ता की ओर से अत्यधिक निर्भरता रखी गई है, हमारे विचार में, समाधान योजना में हस्तक्षेप का कोई मामला अपीलकर्ता का नही बनता है । संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 6 के खंड (बी) के माध्यम से सहिता की धारा 30 की उपधारा 4 में संशोधन का उद्देश्य और प्रभाव को एस्सार स्टील (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा भी समझाया गया था, जैसा कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विधिवत नोट किया गया था प्राधिकारी (यहाँ से पहले निष्कर्षण के माध्यम से)।इसलिए एनसीएलएटी यह कहना सही है कि धारा 30 की उपधारा (4) में ऐसा संशोधन जबकि केवल लेनदारों की समिति के लिए विचारों को बढ़ाया गया ताकि अपने व्यावसायिक ज्ञान का प्रयोग करते हुए व्यवहार्यता और व्यवहार्यता के संबंध में स एक सुविज्ञ निर्णय ले सके । समाधान योजना समान स्थिति वाले लेनदारों के बीच वितरण की निष्पक्षता के साथ और सीओसी के व्यावसायिक ज्ञान का प्रयोग में लिए गये व्यवसायिक निणर्य में हस्तक्षेप की आवश्यकता नही होती है जब तक कि समान स्थिति वाले वर्ग से संबंधित लेनदारो को उचित और न्यायसंगत उपचार से वंचित नही किया जाता है ।

12.1. निष्पक्ष और न्यायसंगत उपचार के प्रश्न के संबंध में, हालांकि निर्णायक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी ने समाधान योजना के पक्ष में समवर्ती निष्कर्ष लौटाए हैं, फिर भी खुद को संतुष्ट करने के लिए, हमने समाधान योजना में वित्तीय प्रस्ताव का अध्ययन किया है। हमने पाया कि सभी सुरक्षित वित्तीय लेनदारों (उन सभी को अपने साथ सुरक्षा हित रखना चाहिए) को भुगतान का प्रस्ताव न्यायसंगत है और अपीलकर्ता को भुगतान का प्रस्ताव अन्य सुरक्षित ऋणदाताओं के लिए प्रस्तावित भुगतान के प्रतिशत के बराबर है। वित्तीय ऋणदाता. निष्पक्ष और न्यायसंगत उपचार से इनकार या प्राथमिकता की उपेक्षा का कोई मामला नहीं बनता है।

13. अपीलकर्ता की ओर से इसके सुरक्षा हित के मूल्य के संदर्भ में बार–बार की गयी दिलीलो में न तो मेरा कोई मतलब है और न ही कोई तथ्य । धारा 30 की उपधारा (2)(बी) के बाद के भाग में निर्दिष्ट असमत वित्तीयऋणदाता का क्या हक है और इसे इस न्यायालय द्वारा एस्सार स्टील में इस प्रकार समझाया गया है: –

> "128. जब 2019 के संशोधन अधिनियम की धारा 06 द्वारा धारा 30 की उपधारा (2) (बी) के प्रतिस्थापन की वैधता की बात आती है तो यह स्पष्ट है कि प्रतिस्थापित धारा 30(2)(बी) परिचालन ऋणदाताओं को देती है । पहले की तुलना में कुछ अधिक दिया गया था क्योंकि यह उप–खंड (बी) के उप–खंड (i) और (ii) में उल्लिखित आंकड़ों में से अधिक है जिसे अब परिचालन लेनदारों को न्यूनतम राशि के रूप में भुगतान किया जाना है। यही बात उप–खंड (बी) के उत्तरार्ध के लिए भी लागू होती है जो असहमत वित्तीय लेनदारों को संदर्भित करता है। सुश्री माधवी दीवान का यह तर्क सही है कि धारा 30(2)(बी) वास्तव में परिचालन ऋणदाताओं और असहमत वित्तीय ऋणदाताओं के पक्ष में एक लाभकारी प्रावधान है, क्योंकि उन्हें अब एक निश्चित न्यूनतम राशि का भुगतान किया जाना है, जो कि मामले मे न्यूनतम है । परिचालन ऋणदाताओं के मामले में न्यूनतम राशि उप–खंड (i) और (ii) के तहत गणना किए गए दो आंकड़ों में से अधिक है। जिसे अब परिचालन ऋणदातओं को न्यूनतम राशि के रूप मे भुगतान किया जाना है, यही बात उपखंड बी के उत्त्रार्ध के लिए भी लागू होती है जो असहमत वित्तीय लेनदारो को संदर्भित करती है । सुश्री माधवी दिवान अपने तर्क मे सही है कि धारा 30 (2)(बी) वास्तव में परिचालन ऋणदातओ और सहमत वित्तीय ऋणदातओं के पक्ष में एक लाभकारी प्रावधान है, क्योकि अब उन्हें एक निश्चित न्यूनतम राशि का भुगतान किया जाना है जो कि मामले में न्यूनतम है । परिचालन ऋणदाता खंड बी के उपखंड (i) और (ii) के तहत गणना किये गये दो आंकणों में से अधिक है और असहमत वित्तीय ऋणदाता के मामलें में न्यूनतम वह न्यूनतम राशि है जो पहले देय नही थी । तथ्य की बात के रूप में पूर्व–संशोधन, सुरक्षित वित्तीय ऋणदाता उन असुरक्षित वित्तीय ऋणदाताओं पर दबाव डाल सकते हैं जो असहमत हैं, 66% मतदान के बहुमत ने उन्हें उनके बकाया के लिए कुछ भी नहीं या लगभग कुछ भी नहीं दिया। पहले के व्यवस्था में ऐसा हो सकता है लेकिन संशोधन के बाद ऐसा हुआ वित्तीय लेनदारों को अब उप–धारा (2) में उल्लिखित न्यूनतम राशि का भुगतान किया जाना है । सुश्री माधवी दीवान यह कहने में भी सही हैं कि धारा 53 में उल्लिखित लेनदारों के भुगतान की प्राथमिकता का क्रम संशोधित उपधारा (2)(बी) में शामिल नहीं

है। धारा 53 का उल्लेख केवल इसलिए किया गया है ताकि परिचालन और वित्तीय ऋणदाताओं के विभिन्न वर्गों को न्यूनतम राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। केवल इसी उद्देश्य के लिए धारा 53(1) को देखा जाना चाहिए क्योंकि यह स्पष्ट है कि यह लेनदारों की समिति का व्यावसायिक ज्ञान है जो यह निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है कि लेनदारों के विभिन्न वर्गों और उप–वर्गों को कितनी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। संहिता के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार । "

(जोर देने के लिए रेखांकित किया गया है)

13.1. इस प्रकार, संहिता और उससे संबंधित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार लेनदारों के विभिन्न वर्गों या उप–वर्गों को कितनी राशि का भुगतान किया जाना है, यह अनिवार्य रूप से लेनदारों की समिति का व्यावसायिक ज्ञान है और अपीलकर्ता जैसा असहमत सुरक्षित ऋणदाता सुरक्षा ब्याज के मूल्य के संदर्भ में अधिक राशि का भुगतान करने का सुझाव नहीं दे सकता है।

14. जेपी केंसिंग्टन (सुप्रा) के मामले में, प्रस्ताव समाधान योजना इस आशय की थी कि यदि वित्तीय ऋणदाता असहमत हों तो सीआईआरपी विनियम 38 के साथ पढे गये आईबीसी की धारा 30 और 53 की शर्तें के तहत परिसमापन मूल्य की प्रकृति में कुछ राशि के हकदार होंगे । उन्हें एक विशेष उद्देश्य की इक्विटी में अनुपातिक हिस्सेदारी के रूप में ऐसा परिसमापन मूल्य प्रदान किया जायेगा और कार्पोरेट देनदार से संबंधित कुछ भूमि पार्सल के हस्तांतरण के साथ वाहन स्थापित करने का प्रस्ताव है । समाधान योजना में असहमत वित्तीय लेनदारों के प्रति दायित्व को पूरा करने की ऐसी पद्धति को निर्णायक प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और निर्णायक प्राधिकारी के आदेश के इस हिस्से को इस न्यायालय ने इस निष्कर्ष के साथ बरकरार रखा गया कि समाधान योजना में प्रस्ताव की आवश्यकता के अनुरूप नहीं थी जैसा कि संहिता की धारा 30(2) के खंड (बी) द्वारा परिकल्पित है[16]. उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने माना कि 'भुगतान' की ऐसी कार्रवाई केवल धन की मात्रा सौंपने या एक असहमत वित्तीयऋणदाता की पात्रता के अनुसार सुरक्षा हित को लागू करके ऐसे धन की वसूली करकर हो सकती है । इस न्यायालय ने आगे यह स्पष्ट किया कि यदि वैध सुरक्षा हित एक असहमत वित्तीय ऋणदाता के पास होता है, तो राशि प्राप्त करने के लिए ऐसे असहमत वित्तीय ऋणदातओं की पात्रता को उसे द्वारा प्राप्य और उसे उपलब्ध प्राथमिकता के क्रम में मूल्य की सीमा तक सुरक्षा हित को लागू करने की अनुमति देकर संतुष्ठ किया जा सकता है । इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह के सुरक्षा हित को लागू करने से एक असहमत है वित्तीय ऋणदाता को उसकी पात्रता की सीमा तक भुगतान प्राप्त होगा और यह संहिता की धारा 30(2)(बी) की

आवश्यकता को पूरा करेगा। इस न्यायालय ने, अन्य बातों के अलावा, निम्नानुसार अवलोकन किया और कहा: –

> "121.1. इसलिए, जब संहिता की धारा 30(2) के खंड (बी) के दूसरे भाग में उल्लिखित दायित्व के निर्वहन के उद्देय से सहमत वित्तीय लेनदारों को निर्धारित राशि का संहिता की धारा 53 के तहत प्राप्त परिसंपत्तियों की आय के संदर्भ में और देय राशि को उनके सहमति देने वाले समकक्षों की तुलना में प्राथमिकता में भुगतान किया जाना है, कानून केवल धनराशि का उल्लेख कर रहा है और कुछ नही । प्रावधान और योजना के ढांचे और तात्पर्य में भी संहिता में, अभिव्यक्ति "भुगतान" स्पष्ट रूप से दायित्व के निर्वहन की कार्रवाई का वर्णनात्मक है और साथ ही, ऐसी कार्रवाई करने के तरीके का भी निर्देशात्मक है। और, यह कार्रवाई केवल असहमत वित्तीय ऋणदाता की पात्रता के अनुसार धन की मात्रा सौंपने, या सुरक्षाहित लागू करके ऐसे धन की वसूली की अनुमति देने की हो सकती है ।
>
> 121.2. हम यह देखने में जल्दबाजी करेंगे कि यदि एक असहमत वित्तीय ऋणदाता एक सुरक्षित ऋणदाता है और उसके पक्ष में एक वैध सुरक्षा हित बनाया गया है और विद्यमान है, तो ऐसे असहमत वित्तीय ऋणदाता का "देय राशि" प्राप्त करने का अधिकार भी हो अनुमति देकर संतुष्ट किया जा सकता है। सुरक्षा हित लागू करने के लिए <u>उसके द्वारा प्राप्य मूल्य की सीमा तक और उसे उपलब्ध प्राथमिकता के क्रम में लागू करना होगा</u> जाहिर है, इस तरह के सुरक्षा हित को लागू करने में एक असहमत वित्तीय ऋणदाता को उसकी पात्रता की सीमा तक "भुगतान" प्राप्त होगा और यह संहिता की धारा 30(2)(बी) की आवश्यकता को पूरा करेगा...।"

(जोर देने के लिए रेखांकित किया गया है ।)

14.1. जेपी केंसिंग्टन (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने बार–बार यह स्पष्ट किया कि एक असहमत वित्तीय ऋणदाता को उसकी पात्रता के अनुसार राशि का भुगतान प्राप्त होगा और उस सीमा तक उसे सुरक्षा हित लागू करने की अनुमति देकर भी प्राप्त मूल्य की सीमा तक संतुष्ट किया जा सकता है । यह कभी निर्धारित नहीं किया गया है कि यदि एक असहमत वित्तीय ऋणदाता के पास सुरक्षा उपलब्ध है, तो वह संपूर्ण सुरक्षा हित लागू करने या उसके पास उपलब्ध सुरक्षा का पूरा मूल्य प्राप्त करने का हकदार होगा। यह तो स्पष्ट है कि यदि अवसर आता है तो सुरक्षा हित के साथ उसका लेनदेन उसके द्वारा प्राप्त मूल्य की सीमा तक वातानुकूलित किया जाएगा ।

14.2. अपीलकर्ता द्वारा प्राप्य मूल्य की सीमा स्पष्ट रूप से समाधान योजना में दी गई है, अर्थात, 2.026 करोड़ रुपये की राशि जो उसी अनुपात और प्रतिशत में है जो अन्य सुरक्षित वित्तीय लेनदारों को उनके संबंधित स्वीकृत दावों के संदर्भ में प्रदान की गई है।अपीलकर्ता की ओर से सुरक्षा के मूल्य लगभग 12 करोड़ रुपये का बार–बार उल्लेख करना पूरी तरह से अनुचित है और गलत धारणा वाला है।

15. एक असहमत वित्तीय ऋणदाता द्वारा प्राप्य राशि की सीमा पर सीमा संहिता की धारा 30(2)(बी) में जन्मजात है और पूर्वोक्त निर्णयों में इसे और अधिक उजागर किया गया है। हुआ नहीं है । विधायिका की मंशा रही है कि एक सुरक्षा हित उपलब्ध हो कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति पर असहमत वित्तीय ऋणदाता उसे अन्य वित्तीय ऋणदाताओं के ऊपर और ऊपर कुछ अधिकार देता है ताकि संपूर्ण सुरक्षा हित को लागू किया जा सके और इस तरह लेनदारों के एक ही वर्ग के लिए प्रस्तावित प्राप्य परिसमापन मूल्य से अधिक राशि प्राप्त करके एक असमान परिदृश्य लाया जा सके।

16. इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि यदि अपीलकर्ता की ओर से सुझाए गए प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो परिणाम यह होगा कि दिवाला समाधान और कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने के बजाय, प्रक्रियाएं अधिक परिसमापन की ओर ले जाएंगी। प्रत्येक सुरक्षित वित्तीय ऋणदाता असहमति पर खड़े होने का विकल्प चुन रहा है। ऐसा परिणाम संहिता द्वारा परिकल्पित उद्देश्य को ही विफल कर देगा; और इसका सामना नहीं किया जा सकता. हम एस्सार स्टील के इस न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रासंगिक टिप्पणियों को निम्नानुसार लाभप्रद रूप से संदर्भित कर सकते हैं: –

> “85. वास्तव में, यदि दिवाला समाधान प्रक्रिया के हिस्से के रूप में लेनदारों के विभिन्न वर्गों के अधिकारों को मान्यता देने वाला "सभी के लिए समानता" दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो सुरक्षित वित्तीय लेनदारों को, कई मामलों में, समाधान के बजाय परिसमापन के लिए वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जैसा कि वे करेंगे। यदि किसी समाधान योजना को मंजूरी देने के बजाय कॉर्पोरेट देनदार को तरल किया जाना है तो उनके पास बेहतर अधिकार हैं। यह संहिता के पूरे उद्देश्य को विफल कर देगा जो पहले यह सुनिश्चित करना है कि संकटग्रस्त संपत्तियों का समाधान हो और यदि यह संभव नहीं है तो ही परिसमापन किया जाना चाहिए।

17. किसी भी कोण से देखने पर, अपीलकर्ता की ओर से की गई दलीलें स्वीकार किए जाने योग्य नहीं हैं और उन्हें अस्वीकार किया जाना आवश्यक है।

18. यहां ऊपर जो चर्चा की गई है, उसके अनुसार यह अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

1 इसके बाद इसे 'कोड' या 'आईबीसी' भी कहा जाएगा।
2 इसके बाद इसे 'अपीलीय प्राधिकारी' या के रूप में भी जाना जाएगा एनसीएलएटी'.
3 इसके बाद इसे 'न्यायनिर्णयन प्राधिकारी' या 'एनसीएलटी' भी कहा जाएगा।
4 संक्षेप में 'सीआईआरपी'।
5 संक्षेप में 'सीओसी'।
6 इसके बाद इसे 'एस्सार स्टील' का मामला कहा जाएगा।

[7] इसके बाद इसे 'जेपी केंसिंग्टन' के मामले के रूप में जाना जाएगा।
[8] 2018 के अधिनियम 26, धारा द्वारा प्रतिस्थापित। 23 (ii)(ए), "पुनर्भुगतान" के लिए (06.06.2018 से)।

[9] 2019 के अधिनियम 26 की धारा द्वारा प्रतिस्थापित। 6(ए), खंड (बी) के लिए (16.08.2019 से)। पहले खंड (बी) को 2018 के अधिनियम 26, धारा द्वारा संशोधित किया गया था। 23(ii)(ए) (06.06.2018 से)। धारा (बी), प्रतिस्थापन से पहले, निम्नानुसार था: "(बी) ऐसे में परिचालन लेनदारों के ऋण के भुगतान का प्रावधान करता है बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से जो कम नहीं होगा परिसमापन की स्थिति में परिचालन ऋणदाताओं को भुगतान की जाने वाली राशि धारा 53 के तहत कॉर्पोरेट देनदार;"

[10] 2018 के अधिनियम 26, धारा द्वारा डाला गया। 23(ii)(बी) (06.06.2018 से)।

11. 2018 के अधिनियम 8, धारा द्वारा प्रतिस्थापित। 6, उपधारा (4) के लिए (23.11.2017 से)। प्रतिस्थापन से पहले उपधारा (4) इस प्रकार थी:
(4) लेनदारों की समिति वित्तीय लेनदारों के कम से कम पचहत्तर प्रतिशत वोट के आधार पर एक समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है।"

12. 2018 के अधिनियम 26, धारा द्वारा प्रतिस्थापित। 23(iii)(ए) के लिए "पचहत्तर" (06.06.2018 से)।

13. 2019 के अधिनियम 26, धारा द्वारा डाला गया। 6(बी) (16.08.2019 से)।

14. 2018 के अधिनियम 26, धारा द्वारा डाला गया। 23(iii)(बी) (06.06.2018 से)।

15. उदाहरण के लिए, जेपी केंसिंग्टन (सुप्रा) के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें समाधान योजना के खिलाफ अल्पसंख्यक शेयरधारकों द्वारा मांगे गए आधारों के संबंध में, इस न्यायालय ने माना कि उनकी शिकायतें नहीं हो सकतीं। कानूनी शिकायतों के रूप में मान्यता दी जाएगी (पैराग्राफ 154 के अनुसार)। इसी प्रकार, जब यह न्यायालय
देखा गया कि घर खरीदने वालों ने एक वर्ग के रूप में योजना पर सहमति व्यक्त की, यह माना गया कि कोई भी व्यक्तिगत घर खरीदार या एसोसिएशन किसी भी चुनौती को बनाए रखने का हकदार नहीं था समाधान योजना और इसे किसी कानूनी शिकायत के रूप में नहीं माना जा सकता (पैराग्राफ देखें)170।

16. जेपी केंसिंग्टन में, असहमत वित्तीय ऋणदाता के संबंध में समाधान योजना के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद, निर्णायक प्राधिकरण ने स्वयं योजना की आपत्तिजनक शर्तों को संशोधित किया और असहमत वित्तीय ऋणदाता को मौद्रिक भुगतान प्रदान किया। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश के इस उत्तरार्द्ध भाग को इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, जबकि यह माना गया था कि समाधान योजना में प्रस्तावित वित्तीय मॉडल से संबंधित ऐसे शब्द की अस्वीकृति के बाद, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी स्वयं इसे संशोधित नहीं कर सकता था और उसे भेजना चाहिए था। पुनर्विचार के लिए मामला सीओसी को वापस भेजा जाए। हालाँकि, जेपी केंसिंग्टन में निर्णय का वह हिस्सा वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है।

अपील खारिज

हिन्दी रुपांतरणकर्ता

(किरण थवाईत)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पेण्ड्रारोड, बिलासपुर, (छ.ग.)